



लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान व वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा रोड नं० 62 पी० ए० कि०मी० 5.924 से 5.959 के मध्य दौयी पटरी ग्राम- ईटगांव, तहसील- बीसलपुर, जिला- पीलीभीत, गाटा संख्या- 821 में पेट्रोल पम्प / रिटेल आउटलेट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना के सफल संचालन के लिए पेट्रोल पम्प / रिटेल आउटलेट के निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत कुल 0.114123 हे० गैर वानिकी प्रयोग हेतु संरक्षित वन भूमि की गणना लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान व वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप की गयी है।


क्षेत्रीय घनाधिकारी
बीसलपुर, (पीलीभीत)


(संजीव कुमार)
 प्रभागीय निदेशक,
 वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत
 प्रभागीय निदेशक
 सा०वा०प्रभाग, पीलीभीत